



2026:AHC-LKO:20186

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ
आपराधिक अपील संख्या - 394 वर्ष 2026

शनिराज चौहान

..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह विभाग), लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य
प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता	:	अविनाश मिश्रा
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28**माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. दिनांक 11.02.2026 के आदेश द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 को नोटिस जारी किया गया था तथा कार्यालय प्रतिवेदन के अनुसार उक्त नोटिस उन पर तामील हो चुका है।
4. आज जब वाद पुकारा गया, तब विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ और न ही उसकी ओर से कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 प्रति-शपथपत्र दाखिल करने में इच्छुक नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपर्युक्त परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला जमानत से संबंधित है, अतः इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के निस्तारण हेतु अंतिम बहस सुनकर आगे बढ़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

6. वर्तमान आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, दिनांक 29.01.2026 को पारित विवादित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, अयोध्या द्वारा जमानत आवेदन संख्या/कंप्यूटर पंजीकरण संख्या 60/2026 में पारित किया गया था, जो वाद अपराध संख्या 612/2025, धारा 87, 137(2) बी.एन.एस. (धारा 363, 366 भा.दं.सं.) तथा धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या से उत्पन्न है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है तथा उसमें किसी प्रत्यक्षदर्शी का नाम उल्लेखित नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि पीड़िता स्वयं अपने पैतृक घर से निकलकर अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ चली गई थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि वह बिना अपने अभिभावकों को सूचित किए स्वयं गई और अपीलकर्ता-अभियुक्त से मिली, किन्तु कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि पीड़िता ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई यौन संबंध स्थापित नहीं हुआ था।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता दिनांक 17.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा साक्षियों अथवा प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को धमकाने या प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त कारणों के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा विवादित आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।

9. विपरीततः, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता अपराध के कारित होने में संलिप्त है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है तथा वर्तमान आपराधिक अपील निरस्त किए जाने योग्य है। तथापि, वे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तथात्मक कथनों का खंडन करने में असमर्थ रहे।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का परीक्षण करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पीड़िता स्वयं अपने पैतृक घर से निकलकर अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ गई; मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए कथन के अनुसार पीड़िता ने कहा है कि वह बिना अपने अभिभावकों को सूचित किए स्वयं गई और अपीलकर्ता-अभियुक्त से मिली, किन्तु कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ; अपीलकर्ता दिनांक 17.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और उसने यह आश्वासन दिया है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा। प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का समुचित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मूल्यांकन नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

11. अतः, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, अयोध्या द्वारा जमानत आवेदन संख्या/कंप्यूटर पंजीकरण संख्या 60/2026 में पारित दिनांक 29.01.2026 का विवादित आदेश, जो वाद अपराध संख्या 612/2025, धारा 87, 137(2) बी.एन.एस. (धारा 363, 366 भा.दं.सं.) तथा धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना इनायत नगर, जनपद अयोध्या से उत्पन्न है, निरस्त किया जाता है।

12. उक्त वाद अपराध संख्या में अपीलकर्ता **शनिराज चौहान** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित/धमकाएगा नहीं।
- (iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा।
- (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब अपीलकर्ता कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (viii) अपीलकर्ता धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूंकि यह आदेश अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक : 19 मार्च, 2026

अरविंद

न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।